



लॉस एंड डैमेज फंड

प्रलिस के लयि:

COP27 शखिर सममेलन, लॉस एंड डैमेज फंड, गरीनहाउस गैस उत्सर्जन, ग्लोबल वार्मगि, हानाँ और कषतपिर वारसाँ अंतरराष्टरीय तंत्र, हरति जलवायु कोष

मेन्स के लयि:

पर्यावरण प्रदूषण और गरिावट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संपन्न **COP27 शखिर सममेलन** में **संयुक्त राषट्र** के प्रतनिधियों ने एक 'लॉस एंड डैमेज फंड' बनाने पर सहमतिव्यक्त की, जो जलवायु संबंधी आपदाओं के कारण सबसे कमज़ोर देशों को हुए उनके नुकसान की कषतपूरति करेगा।

लॉस एंड डैमेज फंड (हानाँ और कषतकोष):

- 'लॉस एंड डैमेज' जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को संदरभति करता है जसि शमन (**गरीनहाउस गैस उत्सर्जन** में कटौती) या अनुकूलन (जलवायु परिवर्तन प्रभावों से नपिटने की प्रथाओं को संशोधति करना) से टाला नहीं जा सकता है।
- इनमें न केवल संपत्ति की आर्थिक कषत बल्कि आजीविका की हानाँ और जैव विविधता एवं सांस्कृतिक महत्त्व वाले स्थलों का वनाश भी शामिल है।
- इससे प्रभावति देशों के लयि **मुआवज़े का दावा करने का दायरा बढ़ जाता है।**

लॉस एंड डैमेज की अवधारणा का वकिस:

- चूँकि वर्ष 1990 के दशक की शुरुआत में जलवायु परिवर्तन पर **संयुक्त राषट्र फरेमवरक कन्वेंशन** का गठन कयिा गया था, इसलयि जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले हानाँ और कषतपिर बहस हुई है।
- कम-से-कम वकिसति देशों के समूह ने **लंबे समय से नुकसान और वनाश के लयि जवाबदेही और मुआवज़े की स्थापना का लक्ष्य रखा है।**
 - हालाँकि जलवायु कषत के लयि ऐतिहासिक रूप से दोषी ठहराए गए **अमीर देशों ने कमज़ोर देशों की चतिओं की अनदेखी की है।**
- **हानाँ और कषतपिर वारसाँ अंतरराष्टरीय तंत्र (WIM)** की स्थापना वर्ष 2013 में वकिसशील देशों के व्यापक दबाव के बाद बना फंडगि के की गई थी।
 - हालाँकि ग्लासगो में वर्ष 2021 **COP26 जलवायु शखिर सममेलन** के दौरान हानाँ और कषत के लयि धन की व्यवस्था पर वचिर करने के लयि 3-वर्षीय टास्क फोर्स की स्थापना की गई थी।
- अब तक **कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और वालोनिया के बेलजियम प्रांत** आदि को मलाकर सभी ने लॉस एंड डैमेज फंड में रुचिव्यक्त की है।

नधिकी स्थापना से संबंधति चतिाँ:

- जहाँ तक भवष्य की COP वारताओं का संबंध है, **यह केवल एक फंड बनाने के लयि प्रतबिद्ध है और फरि इसे चर्चा हेतु छोड़ दिया जाता है** जसिमे इसकी स्थापना और योगदान जैसी महत्त्वपूर्ण बातें शामिल होती हैं।
 - जबकि कुछ देशों ने इस फंड में नाममात्र दान कयिा है लेकिन अनुमानति कषतपिहले से ही 500 बलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर चुकी है।
 - COP27 में वारता के दौरान **युरोपीय संघ** ने चीन, अरब राज्यों और "बड़े वकिसशील देशों" (शायद भारत भी) पर इस आधार पर योगदान देने के लयि ज़ोर दयिा कि उनका उत्सर्जन में काफी योगदान था।
- **बुनयिादी ढाँचे की कषत, संपत्ति की कषत और अमूल्य सांस्कृतिक संपत्तियों की कषत** आदि को जलवायु परिवर्तन के कारण होने

वाले "नुकसान एवं क्षति" के रूप में मापे जाने जैसा कुछ खास निर्धारित भी नहीं किया गया।

- जलवायु वित्तपोषण अब तक मुख्य रूप से **ग्लोबल वार्मिंग** को रोकने के प्रयास में **कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने** पर केंद्रित है, जबकि इसका लगभग एक-तहार्ई हिस्सा समुदायों को भवषिय के प्रभावों के अनुकूल बनाने में मदद करने के लिये परियोजनाओं में खर्च हो गया है।

भारत की संबंधित पहलें:

■ राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष (NAFCC):

- जलवायु परिवर्तन के परतकूल प्रभावों के परतसिंवेदनशील राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों हेतु जलवायु परिवर्तन अनुकूलन की लागत को पूरा करने के लिये वर्ष 2015 में इस कोष की स्थापना की गई थी।

■ राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (NCEF):

- उद्योगों द्वारा कोयले के उपयोग पर प्रारंभिक **कार्बन टैक्स** के माध्यम से वित्तपोषित स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये इस कोष का निर्माण किया गया था।
- यह एक अंतर-मंत्रालयी समूह द्वारा शासित होता है जिसका अध्यक्ष वित्त सचिव होता है।
- इसका जनादेश जीवाश्म और गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षेत्रों में **नवीन स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी** के अनुसंधान एवं विकास के लिये निर्धारित है।

■ राष्ट्रीय अनुकूलन कोष:

- आवश्यकता और उपलब्ध धन के बीच की खाई को पाटने के उद्देश्य से वर्ष 2014 में 100 करोड़ रुपए के नधियन के साथ कोष की स्थापना की गई थी।
- यह कोष पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) के तहत संचालित किया जाता है।

आगे की राह

- हालाँकि लाभ यह है कि वृद्धशील देशों को गत नहीं खोनी चाहिये और यह सुनिश्चित करने के लिये कड़ी मेहनत करनी चाहिये कि COP वषिवसनीय उत्प्रेरक बने रहें न कि कुछ खोखली जीत के अवसर मात्र।
- इसके अलावा यह सुनिश्चित करना कि उत्सर्जन और भेद्यता को कम करने के लिये वित्त बेहतर लक्षित है, नए वित्त जुटाने हेतु एक राजनीतिक प्रतबिद्धता को बनाए रखने की आवश्यकता है। हाल के अनुभवों से सीखना और सुधार करना, खासकर जब **हरित जलवायु कोष** काम करता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्षों के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न. 'मीथेन हाइड्रेट' के नकिषेपों के संदर्भ में नमिनलखित कथनों में से कौन-से सही हैं?

1. भूमंडलीय तापन के कारण इन नकिषेपों से मीथेन गैस का नरिमुक्त होना प्रेरित हो सकता है।
2. 'मीथेन हाइड्रेट' के वशील नकिषेप उत्तरी ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्र अधस्तल के नीचे पाए जाते हैं।
3. वायुमंडल में मीथेन एक या दो दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- 'मीथेन हाइड्रेट' बर्फ की एक जालीनुमा पजिड़े जैसी संरचना है, जिसमें मीथेन अणु बंद होते हैं। यह एक प्रकार की "बर्फ" है जो केवल स्वाभाविक रूप से उपसतह में जमा होती है जहाँ तापमान और दबाव की स्थिति इसके गठन के लिये अनुकूल होती है।
- आरकटिक परमाफ्रॉस्ट के नीचे मीथेन हाइड्रेट और तलछटी चट्टानी इकाइयों के निर्माण और स्थिरता के लिये उपयुक्त तापमान एवं दबाव की स्थिति वाले क्षेत्रों में महाद्वीपीय सीमांत पर तलछट जमाव; अंतरदेशीय झीलों और समुद्रों के गहरे पानी के तलछट तथा अंटार्कटिक बर्फ आदि शामिल है। **अतः कथन 2 सही है।**
- मीथेन हाइड्रेट्स जो एक संवेदनशील तलछट है, तापमान में वृद्धिया दबाव में कमी के साथ तेज़ी से पृथक हो सकते हैं।
- इस पृथक्करण से मुक्त मीथेन और पानी को प्राप्त किया जाता है जैसे ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा रोका जा सकता है। **अतः कथन 1 सही है।**
- मीथेन वायुमंडल से लगभग 9 से 12 वर्ष की अवधि में ऑक्सीकृत हो जाती है जहाँ यह कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होती है। **अतः कथन 3 सही है। अतः विकल्प (d) सही है।**

??????:

प्रश्न. नवंबर, 2021 में ग्लासगो में विश्व के नेताओं के शिखर सम्मेलन में COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में, आरंभ की गई हरति ग्रीड पहल का प्रयोजन स्पष्ट कीजिये। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) में यह वचन पहली बार कब दिया गया था? (2021)

प्रश्न. संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (UNFCCC) के COP के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिये। इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई प्रतिबद्धताएँ क्या हैं? (2021)

स्रोत: द द्रिस्टि

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/loss-and-damage-funding-for-climate-damages>

